अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक–17.05.2018 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– यथा पंजी अनुसार।

बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय सभी पदाधिकारियों का विभाग की ओर से स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1. ऑपरेशन दखल–देहानी

विभागीय पत्रांक–590, दिनांक–08.09.2014 के द्वारा वैसी जमीन पर आवंटियों को दखल दिलाने का अभियान प्रारम्भ किया गया, जो सरकार द्वारा अथवा भूदान यज्ञ कमिटि के द्वारा रैयतों को आवंटित की गयी है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक कुल–23,60,000 रैयतों को विभिन्न स्रोतों यथा– गैर मजरूआ आम/खास जमीन की बन्दोबस्ती कर, भू–हदबंदी में प्राप्त अधिशेष भूमि की बन्दोबस्ती कर, वासगीत पर्चा उपलब्ध कराकर, रैयती जमीन क्रय कर एवं भूदान का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराकर जमीन आवंटित की गयी है। इस प्रकार के सभी लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उन्हें आवंटित जमीन का विस्तृत ब्योरा उनके नाम के साथ संबंधित जिलों के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने का आदेश सभी समाहर्त्ताओं को दिया गया था, जिसके आलोक में कुल–17,44,131 लाभार्थियों से संबंधित विस्तृत विवरण जिलों के वेबसाईट पर अभी तक प्रदर्शित किया गया है। शेष लाभार्थियों का विस्तृत विवरण जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाना शेष है, जिसके लिए प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया। अपर समाहर्त्ताओं को उक्त कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पादित किये जाने का आदेश बैठक में दिया गया।

ख) समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अभी तक कुल–1,24,149 लाभार्थी अपने–अपने आवंटित जमीन से बेदखल पाये गये है, जिसके विरूद्ध कुल–82,410 बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर दखल दिलाया गया है। शेष 41,739 पर्चाधारी, जिन्हें अभी तक आवंटित जमीन पर दखल नहीं दिलाया गया है, का जिलावार विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	पर्चाधारियों की संख्या (प्रपत्र–1)	चिन्हित बेदखल पर्चाधारियों की सं0 (प्रपत्र–2)	दखल दिलाये गये पर्चाधारियों की सं0 (प्रपत्र–3)	दखल दिलाने हेतु शेष पर्चाधारियों की सं0
1	Araria	68427	3851	1800	2051
2	Arwal	7418	492	274	218
3	Aurangabad	44613	2819	2499	320
4	Banka	26885	1038	965	73
5	Begusarai	44620	4168	1624	2544
6	Bhagalpur	31457	6022	3098	2924
7	Bhojpur	27551	1373	823	550
8	Buxar	17895	1365	903	462
9	Darbhanga	44020	4339	2057	2282
10	East Champaran	82598	6651	4626	2025

11	Gaya	136770	2435	2219	216
12	Gopalganj	77949	1400	1023	377
13	Jamui	29438	571	321	250
14	Jehanabad	16471	177	114	63
15	Kaimur	57950	5076	3376	1700
16	Katihar	76591	4387	2363	2024
17	Khagaria	36341	2067	1937	130
18	Kishanganj	45206	7187	4904	2283
19	Lakhisarai	13919	460	410	50
20	Madhepura	34284	5369	3907	1462
21	Madhubani	89430	18793	18223	570
22	Munger	22502	1398	1353	45
23	Muzaffarpur	47945	1201	600	601
24	Nalanda	36394	320	141	179
25	Nawada	48319	701	531	170
26	Patna	50417	1882	1025	857
27	Purnia	85181	4074	3066	1008
28	Rohtas	30429	3986	3299	687
29	Saharsa	27220	1430	873	557
30	Samastipur	53140	4971	3412	1559
31	Saran	12911	455	445	10
32	Sheikhpura	6542	285	103	182
33	Sheohar	5928	137	56	81
34	Sitamarhi	26353	4889	3548	1341
35	Siwan	18054	748	522	226
36	Supaul	68361	2410	1690	720
37	Vaishali	26453	2746	2515	231
38	West Champaran	168149	12476	1765	10711
	Total	**1744131**	**124149**	**82410**	**41739**

बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि वे बेदखल पर्चाधारियों को अगले तीन माह में दखल दिलाने की कार्रवाई की जाय।

ग) अपर समाहर्त्ताओं को बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि वे जिला स्तर से विभिन्न अंचलों के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर विशेष शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें बेदखल पर्चाधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें जमीन पर दखल दिलाने की कार्रवाई करेंगे।

घ) वैसे पर्चाधारी, जिन्हें आवंटित जमीन पर दखल दिलाया जाता है, से संबंधित विवरण विभागीय पत्रांक–590, दिनांक–08.09.2014 के साथ सम्बद्ध प्रपत्र–3 में अंकित करवाना सुनिश्चित

करेंगे। वैसे पर्चाधारी जिन्हें बेदखल पाया जाता है, का विस्तृत विवरण प्रपत्र–2 में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

ड.) अभी तक लगभग 6 लाख पर्चाधारियों से संबंधित विस्तृत विवरण जिलों के वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसे भी अभियान चलाकर प्रदर्शित करवाना अपर समाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगे।

2. अभियान बसेरा

पूर्व में महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना एवं टी0एस0पी0 योजनाओं के तहत सक्षम श्रेणी के वासरहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम संचालित था। वर्ष 2009–10 में वासरहित महादलित परिवारों को चिन्हित करते हुए कुल–2,40,705 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जिसके विरूद्ध दिनांक–31.03.2016 तक 2,40,750 परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त गृह स्थल योजना, टी0एस0पी0 योजना के तहत भी वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध करायी गयी।

ख) विभागीय संकल्प सं0–153, दिनांक–09.02.2015 के द्वारा राज्य के सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु 5 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा संभव 20 परिवार) में बसाने के संबंध में 5 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से – अर्थात 100 डिसमिल वास हेतु तथा वासभूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए कराने के संबंध में नीति तैयार किया गया। उपर्युक्त के आलोक में अभियान बसेरा कार्यक्रम का संचालन कर सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में वासभूमि उपलब्ध कराने का अभियान – "अभियान बसेरा" प्रारम्भ किया गया। उक्त योजना के तहत अभी तक कुल–**114278** परिवारों को सर्वेक्षित किया गया है, जिसके विरूद्ध कुल–**72655** परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है एवं **41959** को वासभूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है, जिसका जिलावार विवरण निम्नवत है :–

Sl No	अभियान बसेरा प्रतिवेदन			
	जिला	सर्वेक्षित कुल	समेकित कुल वितरित	अवशेष परिवार
1	Araria	2094	323	1771
2	Arwal	939	460	479
3	Aurangabad	1729	1652	77
4	Banka	1736	1039	697
5	Begusarai	6104	3687	2417
6	Bhagalpur	4353	2359	1994
7	Bhojpur	1235	534	701
8	Buxar	5946	3095	2932
9	Darbhanga	2928	2401	527
10	East Champaran	5731	2783	2948
11	Gaya	9740	8322	1669
12	Gopalganj	1221	653	568
13	Jamui	0	0	0
14	Jehanabad	1685	1672	24
15	Kaimur	1630	618	1071
16	Katihar	4086	1917	1169
17	Khagaria	3383	1851	1532
18	Kishanganj	1794	1479	353

19	Lakhisarai	1970	1684	286
20	Madhepura	1372	1314	58
21	Madhubani	2849	2432	417
22	Munger	2431	1968	463
23	Muzaffarpur	1492	1113	379
24	Nalanda	1526	1131	395
25	Nawada	2013	1550	463
26	Patna	3272	1527	1745
27	Purnea	6046	3611	2483
28	Rohtas	4002	3619	389
29	Saharsa	3318	2581	737
30	Samastipur	2337	2155	182
31	Saran	591	357	234
32	Sheikhpura	768	750	18
33	Sheohar	975	527	448
34	Sitamarhi	1306	1033	311
35	Siwan	839	561	274
36	Supaul	4605	2925	1684
37	Vaishali	3004	2535	469
38	West Champaran	13228	4437	8791
	Grand Total	**114278**	**72655**	**41959**

बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि वे अवशेष परिवारों को वासभूमि अभियान के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ग) बेदखली के लिए आयोजित होने वाले कैम्पों में वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों का भी सर्वेक्षण कार्य कराये जाने का आदेश अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया, जो यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वैसे परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वासभूमि उपलब्ध करायी जाय।

घ) दिनांक–01.06.2018 रो अभियान चलाकर सक्षम श्रेणी के वासरहित परिवारों को अगले दो माह में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करेंगे एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 15 जून, 2018, 30 जून, 2018 एवं 15 जुलाई, 2018 एवं 31 जुलाई, 2018 को विभाग को ऑनलाईन रिर्पोटिग पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करावेगें। अभियान बसेरा से संबंधित नया दिशा–निर्देश विभाग के स्तर पर तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही जिलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें निहित प्रावधानों के आलोक में रैयती जमीन का क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. ऑनलाईन दाखिल खारिज

प्रधान सचिव महोदय के द्वारा बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को ऑनलाईन दाखिल खारिज के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया :–

(i) सभी अंचलों की जमाबंदी पंजी का कम्प्यूटराईजेशन कार्य 30 जून, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय एवं अधिक से अधिक 15 जुलाई, 2018 तक सभी जमाबंदी का सत्यापन हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापित जमाबंदी के हार्ड कॉपी पर हल्का कर्मचारी अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। दस प्रतिशत जमाबंदियों का सत्यापन अंचल अधिकारी भी Random Basis पर करेंगे।

(ii) अभी तक कुल–186 अंचलों को ऑनलाईन दाखिल खारिज हेतु अधिसूचित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क) दिनांक–01.12.2017 से 45 अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से संबंधित अधिसूचना निर्गत किया गया।

ख) कुल–47 अंचलों में दिनांक–02.04.2018 से ऑनलाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन किया गया।

ग) कुल–104 अंचलों में दिनांक–15.04.2018 से ऑनलाईन दाखिल खारिज प्रारम्भ करने हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया।

प्राप्त सूचनानुसार अभी तक कुल–186 अधिसूचित अंचलों में से कुल–108 अंचलों का डाटा माईग्रेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का डिजिटल हस्ताक्षर भी निर्गत किया जा चुका है। बैठक में प्रधान सचिव महोदय के द्वारा एन0आई0सी0 के प्रभारी पदाधिकारी एवं श्री आनन्द शंकर, आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि वे अधिसूचित सभी अंचलों का डाटा दिनांक–30.05.2018 तक माईग्रेट करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वैसे सभी अंचलों में माह–जून प्रथम सप्ताह से ऑनलाईन दाखिल खारिज प्रारम्भ किया जाना संभव हो सके।

(iii) बैठक में संयुक्त निदेशक, कृषि गणना के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक–01.06.2018 तक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार कुल–96 अंचलों के अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात् दो चरणों में सभी अवशेष भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं माह–जून, 2018 के द्वितीय सप्ताह से अन्य 90 अंचलों के अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

(iv) संयुक्त निदेशक, कृषि गणना के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि भविष्य में जिन अंचलों के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, वैसे अंचलों में प्रशिक्षण के पश्चात् ऑनलाईन दाखिल खारिज प्रारम्भ किये जाने संबंधी अधिसूचना प्रारूप प्रधान सचिव के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाएगा।

प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में यह आदेश दिया गया कि दिनांक–31.08.2018 तक राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाईन विधि से दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की कार्रवाई प्रारम्भ किये जाने हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार कर तदनुसार उसे कार्यान्वित की जाय।

4. ऑनलाईन लगान वसूली

वर्तमान में ऑनलाईन लगान वसूली हेतु दानापुर अंचल को अधिसूचित किया गया है। प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में निदेश दिया गया कि ऑनलाईन लगान वसूली राज्य के सभी अंचलों में 31.08.2018 तक प्रारम्भ करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय।

5. न्यायालय से संबंधित मामला

वर्तमान में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का जिलावार विवरण निम्नवत है :–

SR No.	Name of District	CWJC	MJC	LPA	SLP
1	Araria	20	0	0	0
2	Arwal	4	0	0	0
3	Aurangabad	24	0	0	0
4	Banka	7	0	0	0
5	Begusarai	29	2	0	1
6	Bhagalpur	37	1	2	1
7	Bhojpur	24	0	0	0
8	Buxer	9	1	0	0
9	Dharbhanga	38	4	0	0
10	East Champaran	49	9	0	0
11	Gaya	25	0	1	0
12	Gopalganj	35	1	1	0
13	Jamui	4	1	1	0
14	Jehanabad	10	2	0	0
15	Kaimur (Bhabhua)	14	0	0	0
16	Katihar	32	1	1	0
17	Khagaria	14	0	0	0
18	Kishanganj	0	0	0	0
19	Lakhisarai	7	1	0	0
20	Madhepura	6	1	1	0
21	Madhubani	24	0	0	0
22	Munger	7	1	0	1
23	Muzaffarpur	35	1	0	1
24	Nalanda	18	4	1	0
25	Nawada	13	2	0	0
26	Patna	82	10	5	2
27	Purnea	12	0	1	0
28	Rohtas	40	3	1	2
29	Saharsa	23	5	1	0
30	Samastipur	40	2	0	1
31	Saran	26	1	1	1
32	Sheikhpura	1	0	0	0
33	Sheohar	12	1	0	0
34	Sitamarhi	17	2	0	1
35	Siwan	5	2	1	0
36	Supaul	21	3	0	0
37	Vaishali	28	0	1	0
38	West Champaran	47	1	4	0
39	Head Quarter	6	6	1	0
	Total	**845**	**68**	**24**	**11**

प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को यह निदेश दिया गया कि वे अभियान चलाकर दिनांक–31.07.2018 तक माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वादों में प्रतिशपथ पत्र दायर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान सचिव के द्वारा अपर समाहर्त्ताओं को यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान में विभाग में दो विधि पदाधिकारियों का पदस्थापन बिहार विकाश मिशन के द्वारा किया गया है, जिन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है। विधि पदाधिकारियों को आवंटित जिलों का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	श्री अर्चित राजपाल (मोबाईल संख्या–9835491807)	क्र0	सुश्री करिश्मा कुमारी (मोबाईल संख्या–9798211406)
1	अररिया	1	मधेपुरा
2	अरवल	2	मधुबनी
3	औरंगाबाद	3	मुंगेर
4	बांका	4	मुजफ्फरपुर
5	बेगूसराय	5	नालन्दा
6	भागलपुर	6	कैमूर
7	भोजपुर	7	लखीसराय
8	बक्सर	8	पूर्णियां
9	दरभंगा	9	रोहतास
10	पूर्वी चम्पारण	10	सहरसा
11	गया	11	समस्तीपुर
12	गोपालगंज	12	सारण (छपरा)
13	जमुई	13	शेखपुरा
14	जहानाबाद	14	शिवहर
15	नवादा	15	सीतामढ़ी
16	कटिहार	16	सीवान
17	खगड़िया	17	सुपौल
18	किशनगंज	18	वैशाली
19	पटना	19	प0 चम्पारण
20	Bihar Land Tribunal	20	Board of Revenue
21	Consolidation Cases	21	Hon'ble Department Ministers Court
22	Land Acquisition	22	Departmental Cases

प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि वे जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किया जाता है, से संबंधित सूचना विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी मामले में उन्हें तथ्य विवरणी जिला स्तर पर तैयार करने में कठिनाई हो, वैसे मामलों को विशेष दूत के माध्यम से विभाग में पदस्थापित विधि पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे एवं ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान सचिव के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि चूंकि न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रत्येक माह में किया जाता है,

अतः इससे गंभीरता से लेते हुए दिनांक–31.07.2018 तक सभी मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करवाना सुनिश्चित करेंगे।

6. National Register of Citizens, Assam

अभी तक असम सरकार के द्वारा कुल–68000 दस्तावेज जांच हेतु बिहार राज्य को उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्ध 39,674 दस्तावेज जांच हेतु विभिन्न जिलों/विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें से कुल–28220 जिलों से संबंधित, जिसका विवरण निम्नवत है :–

S.L. No.	District	Total
1	Saran	5330
2	Muzaffapur	5208
3	Siwan	2403
4	East Champaran	2282
5	Gopalganj	1413
6	Samastipur	1018
7	Sitamarhi	1040
8	Vaishali	2543
9	Darbhanga	1121
10	Bhojpur	840
11	Buxar	833
12	Begusarai	451
13	Madhubani	878
14	Patna	517
15	Katihar	258
16	Khagaria	156
17	Purnia	245
18	Sasaram	214
19	West Champran	227
20	Araria	43
21	Arwal	16
22	Aurangabad	12
23	Banka	24
24	Bhagalpur	163
25	Gaya	99
26	Jamui	18
27	Kaimur	113
28	Kisanganj	101
29	Lakhisarai	20
30	Madhepura	38
31	Munger	241
32	Nalanda	53
33	Nawada	42
34	Saharsa	93
35	Sheohar	94

36	Supaul	49
37	Sekhpura	14
38	Jehanabad	10
	Total	**28220**

प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त से संबंधित वाद विचाराधीन है, जिसके कारण विषय की गंभीरता के देखते हुए सत्यापन प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इस संबंध में किसी जिला को कठिनाई हो तो संयुक्त निदेशक, कृषि गणना से सम्पर्क स्थापित कर सत्यापन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. National Population Register का अद्यतीकरण से संबंधित कार्यों का सम्पादन :–

(1) जिन जिलों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतीकरण से संबंधित प्रथम चरण का कार्य असंतोषप्रद है, का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	जिला का नाम	**Enumeration Blocks** की संख्या, जिससे संबंधित **Summary Sheet** तैयार कर एन0पी0आर0 पोर्टल पर अभी तक नहीं डाला गया है।	अभियुक्ति
1	पूर्वी चम्पारण	46	
2	मधुबनी	18	
3	कटिहार	27	
4	बेगूसराय	10	
5	दरभंगा	20	
6	रोहतास	06	
7	गया	16	
8	पटना	301	
9	बांका	02	
10	नवादा	02	
11	सारण	265	
12	पटना नगर निगम	591	

(2) जिन जिलों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतीकरण से संबंधित द्वितीय चरण का कार्य असंतोषप्रद है, का विवरण निम्नवत है :– (द्वितीय चरण में **Service Provider** का चयन करना है एवं डाटा इन्ट्री करते हुए उसे अपलोड करना है)

क्र0	जिला का नाम	**Enumeration Blocks** का प्रतिशत, जिससे संबंधित **Data Entry** कार्य करते हुए अपलोड नहीं किया गया है, का प्रतिशत	अभियुक्ति
1	सारण	05 प्रतिशत	
2	पटना	02 प्रतिशत	
3	पू0 चम्पारण	04 प्रतिशत	
4	दरभंगा	02 प्रतिशत	
5	पटना नगर निगम	100 प्रतिशत	

(3) जिन जिलों से वर्ष 2011 से संबंधित जनगणना कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त है, का विवरण निम्नवत है :–

दरभंगा	सारण	समस्तीपुर	शिवहर
खगड़िया	पटना	सहरसा	प0 चम्पारण
मधुबनी	सीतामढ़ी	पटना नगर निगम	

(4) जिन जिलों से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतीकरण तथा पूर्व के वित्तीय वर्ष की बकाया राशि से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है, का विवरण निम्नवत है :–

1	मधुबनी	2	अररिया	3	दरभंगा	4	मुजफ्फरपुर
5	वैशाली	6	समस्तीपुर	7	नालन्दा	8	पटना
9	भोजपुर	10	बक्सर	11	रोहतास	12	गया
13	जहानाबाद	14	पटना नगर निगम	15	प0 चम्पारण	16	गोपालगंज

(5) जिन जिलों से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतीकरण तथा पूर्व के वित्तीय वर्ष की बकाया राशि से संबंधित वित्तीय वर्ष 2016–2017 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है, का विवरण निम्नवत है :–

1	गया

प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में एन0आर0सी0 से संबंधित कार्यों का सम्पादन अविलम्ब पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को 30.05.2018 तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

8. हल्का कर्मचारी की रिक्ति से संबंधित अनुमोदित रोस्टर

प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को बतलाया गया कि फरवरी, 2014 में विभिन्न जिलों से प्राप्त राजस्व कर्मचारियों की आरक्षण कोटिवार अनुमोदित रोस्टर के आलोक में अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी थी, जिसके पश्चात् सभी जिलों में राजस्व कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के कारण अतिरिक्त रिक्ति उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध आरक्षण कोटिवार रोस्टर तैयार कर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

9. सेवान्त लाभ

प्रधान सचिव के द्वारा सूचित किया गया कि सेवान्त लाभ मामलों की समीक्षा मुख्य सचिव के द्वारा प्रत्येक माह में की जाती है। वर्तमान में काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मियों का सेवान्त लाभ भुगतान हेतु लंबित है। सभी अपर समाहर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक–30.06.2018 तक वैसे सेवानिवृत्त कर्मियों का सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाय। उक्त आशय की सूचना विभाग को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. भू–सर्वेक्षण

इस संबंध में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य के 13 जिलों में सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया गया है, किन्तु मात्र पाँच जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि संबंधित सर्वे पदाधिकारी यथा–सहायक सेटलमेन्ट पदाधिकारी/कानूनगो/चार्ज पदाधिकारी/अमीन के साथ प्रत्येक माह बैठक करें एवं जहाँ सर्वे का कार्य/कैम्प चल रहा है, वहाँ स्वयं जाकर स्थिति से अवगत होकर उत्पन्न हो रही

समस्याओं का अविलम्ब निष्पादन करायें, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण का कार्य कर सभी सर्वे पदाधिकारी को नक्शा उपलब्ध करा दिया गया है। इस कार्य को लक्ष्य अनुरूप निर्धारित करते हुए अगले दो माह में कार्य पूर्ण करावे।

11. कम्प्यूटराईजेशन

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि आपके द्वारा अभी तक कौन–कौन से पंजी एवं कितने गाँव/पंचायत के खतियान/चालू खतियान/खेसरा/जमाबंदी पंजी, पंजी–2 का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य किया गया है, की सूची विभाग को उपलब्ध करायें। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि अधिकांश जिले के एन0आई0सी0 कार्यालय में कुछ पंजियों का कम्प्यूटराईजेशन की प्रति उपलब्ध है, उससे मिलान कर बचे हुए गाँव/पंचायत से संबंधित पंजियों का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य को पूर्ण करायें एवं अगली बैठक के पूर्व अंचलवार/मौजावार कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित कार्य का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

12. अन्यान –

वर्तमान में अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का आदेश बैठक में उपस्थित विभाग के पदाधिकारी को दिया गया।

स:धन्यवाद बैठक की कार्यवाही की गयी।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्स मेल

ज्ञापांक– 10/सम0 अ0स0 (बैठक) कार्यवाही–40/2018–322(10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 01-06-18

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/18
(गोपाल प्रसाद सिंह),
सरकार के अवर सचिव।